UPST010030032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–सुनील कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी0 1885

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–906 / 2026

अंकित वर्मा उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र रामपदारथ वर्मा, निवासी ग्राम सतैनिया भभोट, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर

.....प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–1137 / 2020,
धारा–308, 323, 452, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर

दिनांक 08.04.2026

प्रार्थी / अभियुक्त अंकित वर्मा की ओर से थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–1137 / 2020 अन्तर्गत धारा–308, 323, 452, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में सत्र न्यायालय द्वारा सहअभियुक्त आशीष का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–412 / 2021 दिनांक 19.02.2021 को निरस्त किया जा चुका है। उक्त सहअभियुक्त आशीष का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2342 / 2021 दिनांक 06.10.2021 को, सहअभियुक्त सचिन मिश्रा का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–3796 / 2025 दिनांक 05.12.2025 को, सहअभियुक्त मयंकदीप श्रीवास्तव का नियमित जमानत प्रार्थना संख्या–3993 / 2025 दिनांक 23.12.2025 को एवं सहअभियुक्त श्रीकान्त वर्मा का नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–136 / 2026 दि0 20.01.2026 को सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

सम्बन्धित थाने से प्रार्थी / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का तर्क सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा सत्यदेव पाण्डेय द्वारा दिनांक 07.11.2020 को सम्बन्धित थाने पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 06.11.220 को सत्यदेव रात 10.30 बजे लगभग 7 से 8 लोगों के साथ उसके गेट के सामने जोर–जोर से बोल रहे थे, जिसको सुनकर वादी का बड़ा बेटा अनुराग उन लोगों को मना करने गया कि अन्दर परिवार रहता है, धीरे बोलो जिससे वे लोग माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए उसके घर में घुसकर लाठी–डण्डा एवं धारदार हथियार से मारने लगे। गुहार सुनकर वादी का छोटा बेटा निशीथ बीच–बचाव करने आया तो उसे भी मारने–पीटने लगे। गुहार सुनकर हम लोग दौड़े तो हमलावर एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए और जाते–जाते धमकी देकर गये हैं कि मिलने पर जान से मार डालेंगे। इस मार–पीट में निशीथ का सिर फट गया तथा अनुराग के सिर पर काफी गम्भीर चोट लगी है, जिससे वह बेहोश हो गया, अनुराग को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया। हमलावरों में आशीष यादव को पहचानता हूँ। शेष 6 लोग अज्ञात हैं। दो मोटरसाइकिल, जिस पर आरोपी आये थे उसका नंबर यू0पी0 44 डब्ल्यू 5710 एवं यू0पी0 44 ए एम 2454 है, जो मौके पर खड़ी है।

यह प्राथमिकी अभियुक्त आशीष यादव व एक व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसे महज हैरान व परेशान करने की नीयत से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब एवं विधिक राय मशविरे से पंजीकृत करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, दौरान विवेचना उसका नाम धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान से प्रकाश में आया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मौखिक साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य से भिन्न है। चोटहिलों को आयी चोट साधारण प्रकृति की है तथा एक्स–रे रिपोर्ट में भी किसी गम्भीर चोट/फ्रैक्चर का उल्लेख नहीं है। सह–अभियुक्तगण की जमानत सत्र न्यायालय से पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, किन्तु अज्ञात वाले अभियुक्त के रूप में उसका नाम प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर माँ–बहन

की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए वादी के घर में घुसकर लाठी–डण्डा एवं धारदार हथियार से वादी के लड़के अनुराग को मारा गया, जिसे बचाने वादी का छोटा बेटा निशीथ गया तो उसे भी मारा पीटा गया। गुहार सुनकर लोगों के आने पर सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मार–पीट की इस घटना में निशीथ का सिर फट गया तथा अनुराग सिर के गम्भीर चोट के कारण बेहोश हो गया। चोटहिलों को आयी चोटें गम्भीर प्रकृति की हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

निम्नांकित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है।
2. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. आरोपित धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष तक की है।
4. दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहयोग कारित किया गया है, जैसाकि केस डायरी के पर्चा नं0 16 में दर्ज प्रार्थी/अभियुक्त के बयान से स्पष्ट है।
5. दौरान विवेचना विवेचक को प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नही पड़ी।
6. अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.08.2021 को आरोप पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और अभियुक्तगण को जरिये समन तलब किया गया।
7. अवर न्यायालय की पत्रावली पर समन तामीला का अथवा बी0डब्लू0 की तामीला का कोई उल्लेख न तो आदेश पत्रक पर किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 17.08.2022 को सीधे एन0बी0डब्लू0 जारी किया गया, जिसके पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है।
8. सम्बन्धित थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. सहअभियुक्त आशीष, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित था, तथा सहअभियुक्त सचिन मिश्रा, सहअभियुक्त मयंकदीप श्रीवास्तव व सहअभियुक्त श्रीकान्त वर्मा, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं थे, की जमानत क्रमशः दिनांक 06.10.2025, 05.12.2025, 23.12.2025 व

20.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम केन्द्रीय जॉच ब्यूरो व अन्य 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाईन 922** में दिये गये दिशा–निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना पाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित वर्मा की ओर से थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–1137/2020 अन्तर्गत धारा–308, 323, 452, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रू0 30,000/– (तीस हजार रूपए) का निजी बंधपत्र व उसी राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्नांकित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांकः 08.04.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code UP 1885

मधुलिका सिंह/–

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR